

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक : 10 अक्टूबर, 2013

विषय: उ0प्र0 राज्य के स्वामित्व के भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य के स्वामित्व के भवनों की ध्वस्तीकरण नीति विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0-477-सी0 / 23-5-08-50(40)ई0जी0 / 2008, दिनांक 26.03.2008 तथा शासनादेश सं0-1419ईजी / 23-5-11-50(40)ईजी / 08, दिनांक 26.09.2011 जिनके माध्यम से उ0प्र0 राज्य के स्वामित्व के भवनों की ध्वस्तीकरण नीति प्रतिपादित की गयी है, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किये गये उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2008 एवं शासनादेश दिनांक 26.09.2011 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2- उपर्युक्त के फलस्वरूप उ0प्र0 राज्य के स्वामित्व के भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में पूर्व से विद्यमान वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5, लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-1। (भवन), उ0प्र0कार्य नियमावली, 1975 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती रहेगी।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:-1883(1)ईजी / 23-5-2013-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
4. लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन के समस्त अधिकारी / अनुभाग।
5. मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, को द्वारा मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. गार्ड-बुक।


केंद्र प्रमुख अभि० (भवन) 7.
दिनांक 21/10/13

58/06/13



Habib G.O.

आज्ञा से,


(सरोज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव

(रमेश चन्द्र बरनवाल)

मुख्य अभियन्ता (भवन)

लो0नि0वि0, लखनऊ